यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न0 80/2023 तारीखरजू:– 16/8/23

उनवान:– रामावतार बनाम कमलेश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

नांक	फर्द अहकाम	
16/8/23	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 15.09.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 2726/0.24, 2252/0.51 है0 स्थित ग्राम मोरडा तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा बेचान नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.09.2023 को पेश हो। (सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी [illegible] यक कलक्टर टोडाभीम [illegible] सिटी	3722-34 16/8/23
15/9/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] रखा गया है) प्रतिवादी न0 1 लगा0 12 की [illegible] मील नोटिस दावे की पत्रावली मे स्वंय व परिवारजनों से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। व अप्रार्थी न0 13 पैरोकार सरकार उप0 PO साहब मिटिंग मे पधारे है वास्ते यथिक कोशिश दिनांक 26.9.23 को पेश हो)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
2.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 13.1.25 को पेश हो।
13-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 21.2.25 को पेश हो।
21-2-25	पत्रावली आदेश कार्य प्रभावित रहा। राजकार्य से बाहर होने के कारण पत्रावली 28-3-25 को पेश हो।
28-3-25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकार्य के बाहर होने के कारण पत्रावली मतानुसार दिनांक 9-5-25 को पेश हो।
9-5-25	पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पर दिनांक 9/5/25 से तलब की गई। प्रार्थी ने इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अनचाही प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादी कोई कार्यवाही चाहता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार [illegible] खारिज किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थी ने उपस्थित होकर आवेदन [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नियमानुसार कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:50 IST
Reason: SelfAttested